

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252755
CG-DL-E-08032024-252755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1064]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1064]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1121(अ).—जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड-(ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 3187(अ) के पैरा 20 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उप-धारा (1) और (3) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वार उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निम्नलिखित नामित विशेषज्ञों को उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य गंगा समिति के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है, अर्थात:-

- i. श्री रमन कांत संस्थापक, नीर फाउंडेशन, मेरठ-सदस्य
- ii. श्री फारूक रहमान खान, राज्य कार्यक्रम निदेशक, वाटरऐंड इंडिया, उत्तर प्रदेश-सदस्य
- iii. श्री सुरेश बाबू, निदेशक, रिवर्स बेटलैंड एंड वाटर पॉलिसी डिवीजन, विश्व प्रकृति निधि, भारत-सदस्य
- iv. डॉ राधा कृष्ण दीक्षित, एसोसिएट प्राध्यापक/गंगा कार्यकर्ता, के.ए.पी.जी कॉलेज, कासगंज, उत्तर प्रदेश- सदस्य
- v. श्री अवधेश कुमार, राष्ट्रीय मंत्री, गंगा समग्र-सदस्य

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल, इस अधिसूचना की प्रकाशन तारीख से दो वर्षों के लिए होगा।
3. नामित विशेषज्ञों के भत्ते, यदि कोई हों, का संचालन राज्य सरकार के नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

[फा. सं.एडी-17/1/2024-एसएमडी एनएमसीजी]

एस. पी. वशिष्ठ, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 20 of the notification of the Government of India in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (erstwhile Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) vide number S.O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Central Government hereby includes the following experts nominated by the State of Uttar Pradesh as Members in the State Ganga Committee for the State of Uttar Pradesh, namely:-

- i. Shri Raman Kant, Founder, Neer Foundation, Meerut - Member;
 - ii. Shri Farooq Rehman Khan, State Program Director, WaterAid India, Uttar Pradesh - Member;
 - iii. Shri Suresh Babu, Director, Rivers Wetlands and Water Policy Division, W.W.F., India - Member;
 - iv. Dr. Radha Krishan Dixit, Associate Professor/ Ganga Activist, K.A.P.G. College, Kasganj, Uttar Pradesh - Member;
 - v. Shri Avdesh Kumar, Rashtriya Mantri, Ganga Samagra - Member.
2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this notification.
 3. The allowances, if any, of the nominated experts shall be governed by the rules of the State Government.

[F. No. Ad-17/1/2024-SMD NMCG]

S. P. VASHISHTH, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga